5/7/14 पत्रावली पेश की। बहसुनाई उभय। बहस पक्ष प० पर सबूत की
बाबत के दौरान वकील अभियोजन ने कथन किया कि
इस बात पर सहमत है कि फरीकान ने मूल कार्य का निस्तारण
होने तक प्रतिवादी व गांव की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश
फरमाया जाता परंतु इसका यानी कि आम रास्ता पर प०
उरवाई निर्वेधाली कार्य का निस्तारण होने तक रोक लगाया
जाता है तथा अपीलीय को पाबन्द किया जाता है कि
मूल कार्य का निस्तारण होने तक गांव व प्रतिवादी की
यथास्थिति, बनाये रखें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई के
लिए 7 दिन के बाद वकील बाबत दी।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी